2024/251

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री प्रमोद पुरोहित
निवासी धोरा गली, दांतराई
तहसील रेवदर
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी रेवदर

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 54 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
25.09.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेवदर को दिनांक 17.07.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर की गई शिकायत संख्या 112107811403312 के जबाव में ग्राम पंचायत दांतराई द्वारा बताया गया कि गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए एक समिति बनाई गई है। उक्त समिति में 26 महीने से कौन–कौन सदस्य है, पंचायत की तरफ से कोई जबाव नहीं दिया गया है। अतः उक्त समिति में कौन–कौन सदस्य है, उन सदस्यों की जानकारी से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेवदर को दिनांक 17.07.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर की गई शिकायत संख्या 112107811403312 के जबाव में ग्राम पंचायत दांतराई द्वारा बताया गया कि गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए एक समिति बनाई गई है। उक्त समिति में 26 महीने से कौन–कौन सदस्य है, पंचायत की तरफ से कोई जबाव नहीं दिया गया है। अतः उक्त समिति में कौन–कौन सदस्य है, उन सदस्यों की जानकारी से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेवदर को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय आज खुले–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:30:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner